



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-22012026-269536
CG-DL-E-22012026-269536

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 331]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जनवरी 22, 2026/माघ 2, 1947

No. 331]

NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 22, 2026/MAGHA 2, 1947

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 जनवरी, 2026

का.आ. 359(अ).— यतः, केन्द्रीय सरकार ने, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 11 के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 452 (अ), दिनांक 16 मार्च 2012 द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग-56 (नया एनएच -731) के किमी 11.500 से किमी 134.700 तक (लखनऊ- सुल्तानपुर खंड) का खंड भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (जिसे इसके पश्चात् 'प्राधिकरण' कहा जाए) को सुपुर्द किया है;

और यतः, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 14 के प्रावधान के अनुसरण में, प्राधिकरण ने उत्तर प्रदेश राज्य में एनएच-731 के 90+370 किमी से 217+795 किमी तक के सुल्तानपुर-लखनऊ खंड और एनएच-28 (नया एनएच 27) के किमी 136+759 से किमी 252+860 तक के अयोध्या-गोरखपुर खंड (जिसे इसके पश्चात उत्तर खंड कहा जाए) पेन्ड शोल्डर्स सहित चार लेन खंड पर टोल लगाने, संचालन, अनुरक्षण और हस्तांतरण के लिए 27.02.2025 को प्रस्तुत की गई बोली के लिए सफल बोलीदाता मेसर्स आईआरबी हरिहर कॉरिडोर प्राइवेट लिमिटेड, जिसका पंजीकृत कार्यालय 11वीं मंजिल, 1101 हीरानंदानी नॉलेज पार्क, पवर्ड, मुंबई-400076 में स्थित है (जिसे इसके पश्चात् "कंसेसनेयर" कहा जाए) के साथ एक करार (जिसे इसके पश्चात उत्तर करार कहा जाए) किया है।

अब, इसलिए, राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दर अवधारण एवं संग्रहण) नियम, 2008 के नियम 3 (जिसे इसके पश्चात “नियम” कहा जाए) के साथ पठित राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 8ए द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए ऐसे अधिक्रमण से पहले की गई या करने से छूटी हुई बातों को छोड़कर अधिसूचना संख्या का.आ. संख्या 2383 (अ) दिनांक 05.07.2019 का अधिक्रमण करते हुए केंद्र सरकार, उक्त खंड के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन में शामिल व्यय, निवेश की गई पूँजी पर ब्याज, उचित रिटर्न, यातायात की मात्रा और प्राधिकरण और कंसेसनेयर द्वाराकिए गए करार की अवधि को ध्यान में रखते हुए, एतद्वारा अधिसूचित करती है कि उक्त खंड के चार या अधिक लेन के उपयोग के लिए नीचे दी गई सारणी 1 के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट वाहनों के प्रकार पर निवल सङ्क खंड लंबाई 94.607 किमी (सारणी-2) और 1.64 किमी (0.164 किमी की लंबाई वाली [सारणी 4]) समतुल्य संरचना लंबाई (60 मीटर से अधिक लंबाई वाली) के लिए यांत्रिक वाहनों पर नीचे तालिका -1 के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट दरों पर 10 करोड़ रु. या उससे अधिक की लागत वाले 32.654 कि.मी. लंबाई (सारणी 3) वाले बाईपास के लिए आधार दर के डेढ़ गुना दर पर शुल्क उद्घाटित और संग्रहीत किया जाएगा, तथा उक्त कंसेसनेयर को नियत तिथि या आधिकारिक राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि, जो भी बाद में हो, से लेकर करार में विनिर्दिष्ट समाप्ति की तिथि तक शुल्क संग्रहीत और प्रतिधारित करने के लिए प्राधिकृत करती है।

सारणी-1

वाहन का प्रकार	आधार वर्ष 2007-08 के लिए प्रति कि.मी. आधार शुल्क दर (रुपए में)
(1)	(2)
कार, जीप, वैन अथवा हल्के मोटर वाहन	0.65
हल्के वाणिज्यिक वाहन, हल्के मालवाहक वाहन अथवा मिनी बस	1.05
बस अथवा ट्रक (दो धुरी वाले)	2.20
तीन धुरी वाले वाणिज्यिक वाहन	2.40
भारी निर्माण मशीनरी (एच.सी.एम.) अथवा अर्थ मूविंग उपस्कर (ई.एम.ई) अथवा बहुधुरीय वाहन (एम.ए.वी.) (चार से छह धुरी वाले)	3.45
बड़े आकार वाले वाहन (सात अथवा अधिक धुरी वाले)	4.20

1. इसके अंतर्गत उद्घाटित और संग्रहीत शुल्क ऐसे टोल प्लाज़ाओं के अंतर्गत विनिर्दिष्ट दूरी हेतु निम्नलिखित टोल प्लाज़ाओं पर, उपरोक्त तालिका 1 में उल्लिखित आधार दरों पर देय और संदेय होगी, अर्थातः-

सारणी -2

क्र. सं.	टोल प्लाज़ा का स्थान (किलोमीटर [किमी])	लंबाई (किमी में) जिसके लिए शुल्क संदेय है	दर जिस पर शुल्क संदेय है
1	उत्तर प्रदेश राज्य के सुल्तानपुर जिले में असरोगा गांव के पास एनएच - 731 के किलोमीटर 101+925 पर।	25.523 [बाईपास लंबाई 32.654 किमी को छोड़कर]	चार या अधिक लेन के लिए, ऊपर सारणी-1 में उल्लिखित आधार दरों का 100%
2	उत्तर प्रदेश राज्य के बाराबंकी जिले में बारा गांव के पास एनएच-731 के किलोमीटर 178+135 पर	69.084 [0.164 किमी संरचनाओं को छोड़कर (जिनकी लंबाई 60 मीटर से अधिक है)]	चार या अधिक लेन के लिए, ऊपर सारणी-1 में उल्लिखित आधार दरों का 100%

2. उपर्युक्त के अतिरिक्त, निम्नलिखित शुल्क प्लाजा पर निम्नलिखित बाईपास के उपयोग के लिए निम्नलिखित शुल्क भी देय और संदेय होगा, जो ऐसे शुल्क प्लाजा के लिए विनिर्दिष्ट बाईपास की लंबाई के लिए ऊपर तालिका 1 में उल्लिखित आधार दर का डेढ़ गुना होगा: -

सारणी-3					
टोल प्लाजा का स्थान (चेनेज)	बाईपास का नाम	पर आरंभ होते हुए (किमी)	पर मिलते हुए (किमी)	लंबाई (60 मीटर से अधिक लंबी अवसंरचनाओं को छोड़कर) और बाईपास की लागत जिसके लिए अतिरिक्त शुल्क संदेय है	दर जिस पर शुल्क संदेय है
				लंबाई (कि.मी. में)	
उत्तर प्रदेश राज्य के सुल्तानपुर जिले में असरोगा गांव के पास एनएच-731 के किलोमीटर 101+925 पर।	शबागंज और बदायूँकलां बाईपास	95+495	97+245	1.750	चार या अधिक लेन के लिए, ऊपर सारणी-1 में उल्लिखित आधार दरों का 150%
	अलीगंज बाईपास	105+980	111+256	5.276	
	मुसाफिरखाना बाईपास	115+495	122+545	7.050	
	जगदीशपुर बाईपास	129+170	147+748	18.578	
कुल				32.654	

3. उपर्युक्त के अतिरिक्त, निम्नलिखित शुल्क प्लाजा (प्लाज़ाओं) पर 60 मीटर से अधिक लंबाई वाली निम्नलिखित अवसंरचनाओं के उपयोग के लिए 10 के समतुल्य गुणक द्वारा ऐसी अवसंरचनाओं की लंबाई को गुणा करके राजमार्ग की समतुल्य लंबाई में अवसंरचनाओं की लंबाई को परिवर्तित करके निम्नलिखित शुल्क भी, ऊपर तालिका 1 में उल्लिखित दर पर, देय और संदेय होगा:

सारणी-4			
टोल प्लाजा का स्थान (किलोमीटर[किमी])	सड़क की लंबाई के समान परिवर्तित अवसंरचना की लंबाई (कि.मी. में)	समकक्ष सड़क लंबाई (कि.मी. में)	दर जिस पर शुल्क भुगतान योग्य है
उत्तर प्रदेश राज्य के बाराबंकी जिले में बारा गांव के पास एनएच-731 के किलोमीटर 178+135 पर	0.164	1.64	चार या अधिक लेन के लिए, ऊपर सारणी-1 में उल्लिखित आधार दरों का 100%

*अवसंरचनाओं (>60 मीटरसे अधिक लंबाई वाली) का व्योरा इस प्रकार है:

क्रम सं.	चेनेज आरंभ (किमी पर)	चेनेज समाप्ति (किमी पर)	अवसंरचना का प्रकार	कुल लंबाई (किमी)
1	185+500	185+585	आरओबी	0.0845
2	197+690	197+770	बड़ा पुल	0.0795
कुल लंबाई (किमी)				0.1640

4. गैर-वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए पंजीकृत यांत्रिक वाहन के स्वामी और पथकर प्लाज़ा से बीस कि.मी. की दूरी के भीतर निवास करने वाले व्यक्ति के लिए मासिक पास की दर वर्ष 2025-26 के लिए 340.000/-रुपए (तीन सौ चालीस रुपए मात्र) है और उक्त नियमों के प्रावधानों के अनुसार प्रतिवर्ष संशोधन के अध्यधीन है।

5. राजमार्ग खण्ड पर बहुयात्राओं हेतु पास निम्नलिखित दरों पर जारी किया जाएगा, अर्थात्:

सारणी-5		
संदेय धनराशि	अनुज्ञात एकतरफा यात्राओं की अधिकतम संख्या	विधिमान्यता की अवधि
एकतरफा यात्रा के लिए शुल्क का डेढ़ गुना	दो	भुगतान के समय से चौबीस घंटे
पचास एकल यात्राओं के लिए भुगतान शुल्क की राशि का दो-तिहाई	पचास	भुगतान की तारीख से एक मास

6. शुल्क प्लाज़ा स्थित होने वाले जिले में पंजीकृत वाणिज्यिक वाहनों (राष्ट्रीय परमिट के अधीन प्रचालित किए जा रहे वाहनों को छोड़कर) के लिए शुल्क उस श्रेणी के वाहन हेतु निर्धारित दर की 50% होगी, बशर्ते कि ऐसे वाणिज्यिक वाहनों के प्रयोग के लिए कोई सर्विस रोड या वैकल्पिक सड़क उपलब्ध न हो।

7. किसी यांत्रिक वाहन पर नियमों के अंतर्गत उसकी श्रेणी के लिए निर्दिष्ट अनुज्ञेय भार से अधिक भार लदा हुआ है, तो उसे प्लाज़ा पार करने के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग का उपयोग करने की अनुमति तब तक नहीं दी जाएगी जब तक कि ऐसे यांत्रिक वाहन से लदा अतिभार हटाया नहीं जाता। संबंधित श्रेणी के वाहनों के लिए विनिर्दिष्ट अनुज्ञेय भार से अधिक भार लदे यांत्रिक वाहन का चालक या स्वामी या प्रभारी व्यक्ति, उक्त नियमों में लागू प्रावधान के अनुसार शुल्क संग्रहण एंजेंसी को राष्ट्रीय राजमार्ग पर अतिभारित वाहन के प्रवेश के लिए शुल्क का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा, अर्थात्:-

अधिकतम अनुज्ञेय सकल वाहन भार से अधिक भार का प्रतिशत	आधार दर में गुणन कारक	शुल्क
(1)	(2)	(3)
0% से 20%	दो	[(नियम 4 के उपनियम (2) के अंतर्गत यांत्रिक वाहन की ऐसी श्रेणी के लिए लागू शुल्क) x (गुणन कारक)]
>20% से 40%	चार	
>40% से 60%	छह	
>60% से 80%	आठ	
>80% और उससे अधिक	दस	

8. उक्त नियमों के नियम 12 के अनुसार, उपयोगकर्ताओं की जानकारी के लिए शुल्क की दरों को प्रदर्शित किया जाएगा।

9. यांत्रिक वाहनों से शुल्क की वास्तविक राशि उपर्युक्त तालिका-1 में यथा-उल्लिखित, आधार वर्ष 2007-08 के लिए प्रति किलोमीटर शुल्क की आधार दर के आधार पर प्रभारित होगी और छूटों की गणना प्राधिकरण द्वारा की जाएगी। प्राधिकरण द्वारा इसे कंसेसनेयर के माध्यम से अंग्रेजी और स्थानीय भाषा में कम से कम एक समाचार पत्र में प्रकाशित कराया जाएगा और उसके बाद उक्त नियम के नियम 5 और रियायत करार के उपबंधों के अनुसार इसे प्रतिवर्ष संशोधित किया जाएगा और प्रकाशित किया जाएगा; तथापि, बशर्ते कि ऐसा संशोधन शुल्क के पूर्ववर्ती संशोधन की तारीख से 6 (छह) महीने की अवधि तक प्रभावी नहीं होगा।

[फा. सं. एफआईएनडीआईवी-16011(15)/1/2024-ऑ/ऑ सीजीएम (फायनांस-1)/ई-247572]

चेतना नंद सिंह, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS
NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd January, 2026

S.O. 359(E).— Whereas, by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, number S.O. 452(E) dated 16th March 2012 issued under section 11 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), the Central Government has entrusted the Stretch from Km 11.500 to Km 134.700 (Lucknow-Sultanpur Section) of National Highway No.56 (New NH-731) in the State of Uttar Pradesh to the National Highways Authority of India (hereinafter referred to as the “Authority”).

And whereas pursuant to the provision of Section 14 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), the Authority has entered into an agreement (hereinafter referred to as said Agreement) with M/s IRB Harihara Corridors Pvt Ltd, having its Registered Office at 11th Floor, 1101 Hiranandani Knowledge Park, Powai, Mumbai-400076 (Hereinafter referred to as “Concessionaire”) the successful bidder for the bid submitted on 27.02.2025 for the Tolling, Operation, Maintenance & Transfer of Four Lane with paved shoulder Sultanpur-Lucknow section from Km 90+370 to Km 217+795 of NH-731 and Ayodhya - Gorakhpur section from Km 136+759 to Km 252+860 of NH-28 (New NH 27) in the state of Uttar Pradesh (hereinafter referred to as the said section).

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 8A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), read with Rule 3 of the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008 hereinafter referred to as the “rules”) and in supersession of the Notification Number S.O. No.2383 (E) dated 05.07.2019, except as respect things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government, having regard to the expenditure involved in building, maintenance, management and operation of the said section, interest on the capital invested, reasonable return, the volume of traffic and the period of the agreement entered into the Authority and the Concessionaire, hereby notifies that there shall be levied and collected fees on mechanical vehicles for the use of the said section at the rates specified in column (2) of Table -1 below for net road section Length of 94.607 km [Table-2] and for equivalent structure length (having length more than 60m) of 1.64 Km (having length 0.164 Km [Table-4]) and at one and a half times of the base rate for use of bypasses, costing rupees ten crore or more, having length of 32.654 Km [Table-3] for four or more lane section on the type of vehicles specified in Column (1) of Table 1 and authorizes the said Concessionaire to collect and retain the fee on and from the appointed date or publication of this Notification in the Official Gazette, whichever is later, till the termination date as specified in the agreement, namely:-

Table 1

Type of vehicle		Base rate of fee per km for the base year 2007-08 (in Rupees)
(1)	(2)	(2)
Car, Jeep, Van or Light Motor Vehicle	0.65	
Light Commercial Vehicle, Light Goods Vehicle or Mini Bus	1.05	
Bus or Truck (Two Axles)	2.20	
Three-axle commercial vehicles	2.40	
Heavy Construction Machinery (HCM) or Earth Moving Equipment (EME) or Multi Axle Vehicle (MAV) (four to six axles)	3.45	
Oversized Vehicles (seven or more axles)	4.20	

1. The fee to be levied and collected hereunder shall be due and payable at the Toll Plaza, at the base rates mentioned in Table -1 above, for the distance specified for such Toll Plaza(s) namely:

Table – 2

S. No.	Location of Toll Plaza (Kilometre [Km])	Length (in km) for which Fee is Payable	Rate at which Fee is payable
1	At Km 101+925 of NH-731 near Asroga village in Sultanpur district of Uttar Pradesh State.	25.523 [excluding bypass length 32.654 km]	100% for four or more lane of the base rates mentioned in Table-1 above
2	At Km 178+135 of NH-731 near Bara village in Barabanki district of Uttar Pradesh State	69.084 [excluding 0.164 km of structures (having length more than 60m)]	100% for four or more lane of the base rates mentioned in Table-1 above

2. In addition to above, the following fee shall also be due and payable for the use of the following bypass(es) at the following Fee Plaza(s) at one and half times of the base rate mentioned in Table -1 above for the length of Bypass(es) specified for such Fee Plaza(s):-

Table - 3

Location of Fee Plaza	Name of the bypass	Taking Off (km)	Merging at (km)	Length (excluding structure >60m) & cost of Bypass for which additional FEE is payable		Rate at which fee is payable
				Length (in Km)	Cost (in Rs. Crores)	
At Km 101+925 of NH-731 near Asroga village in Sultanpur district of Uttar Pradesh State	Shabaganj & Badaunkalan Bypass	95+495	97+245	1.750	>10 Cr. Rs.	150% for four or more lane, of the base rates mentioned in Table-1 above
	Aliganj Bypass	105+980	111+256	5.276		
	Musafirkhana Bypass	115+495	122+545	7.050		
	Jagdishpur Bypass	129+170	147+748	18.578		
Total				32.654		

3. In addition to above, the following fee shall also be due and payable for the use of the following structures having length more than 60 m at the following Fee plaza(s), by converting the length of structures into an equivalent length of highway by multiplying the length of such structures by an equalization factor of 10, at the base rate mentioned in Table 1 above: -

Table - 4

Location of Toll Plaza (Kilometer [Km])	Length of structures* (in km) to be converted into equivalent road length	Equivalent road length (in km)	Rate at which fee is payable
At Km 178+135 of NH-731 near Bara village in Barabanki district of Uttar Pradesh State	0.164	1.64	100% for four or more lane, of the base rates mentioned in Table-1 above

*The details of structures (> 60 m length) are as under:

S. No.	Start Chainage (at Km)	End Chainage (at Km)	Type of Structure	Length (km)
1	185+500	185+585	ROB	0.0845
2	197+690	197+770	Major Bridge	0.0795
Total length (km)				0.1640

4. The rate of monthly pass for a person who owns a mechanical vehicle registered for non- commercial purposes and resides within a distance of twenty kilometers from the fee plaza is Rs. 340 (Rupees Three Hundred Forty only) for the year 2025- 2026 and is subject to revision every year as per the provisions of said Rules.

5. For multiple journeys on the highway section, passes shall be issued at the following rates, namely:

Table - 5

Amount Payable	Maximum number of one- way journeys allowed	Period of validity
One and half times of the fee for one-way journey	Two	Twenty-four hours from the time of payment
Two-third of amount of the fee payable for fifty single journeys	Fifty	One month from date of payment

6. Fee for commercial vehicle (excluding vehicles plying under national permit) registered in the district where the fee plaza falls shall be 50% of the prescribed rate for that category of vehicle provided no service road or alternative road is available for use of such commercial vehicles.

7. A mechanical vehicle which is loaded in excess of permissible load specified for its category under the rules, shall not be permitted to use the National Highway for crossing the plaza until the excess load has been removed from such mechanical vehicle. The driver or owner or a person in-charge of a mechanical vehicle which is loaded in excess of permissible load specified for its category, shall be liable to pay fee for entering the overloaded vehicle on the National Highway to the fee collecting agency as per the applicable provision in the said rules, namely:

Table -6

Percentage of excess load over Maximum Permissible Gross Vehicular Weight	Multiplying Factor to the base rate	Fees
(1)	(2)	(3)
0% to 20%	Two	[(Fees applicable for such category of mechanical vehicle under sub-rule (2) of rule 4) x (Multiplying factor)]
>20% to 40%	Four	
>40% to 60%	Six	
>60% to 80%	Eight	
>80% and Above	Ten	

8. The Fee rates shall be displayed for information of the users in accordance with rules 12 of the said rules.

9. Based on the base rate of fee per kilometer for the base year 2007-08 as mentioned in Table-1 above, the actual amount of fee to be charged from the mechanical vehicles and the discounts will be calculated by the Authority. The same shall be got published by the authority in at least one newspaper in English and vernacular language through the concessionaire and thereafter revised annually in accordance with the rule 5 of the said rule and provisions of the concession agreement and will be published; provided, however, that such revision shall not be effected until a period of 6 (six) months from the date of preceding revision of fee.

[F. No. FINDIV-16011(15)/1/2024-O/o CGM (Finance-I)/E-247572]

CHETNA NAND SINGH, Jt. Secy.